विचार बिन्दु

गुरु का भी दोष कह देना चाहिए। –स्वामी रामतीर्थ

लोकतंत्र की रक्षा हेतु आशा की एक किरण- सुप्रीम कोर्ट

कुछ वर्षों से ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर ही आ गई है। कार्यपालिका और विधायिका जब कई प्रकार के उचित-अनुचित साधन अपना कर, देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने हेतु आतुर लगे, तब रोशनी की एक मात्र किरण की तरह उच्चतम न्यायालय के निर्णय सामने आए हैं ।

लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका, दोनों का यह दायित्व है कि वे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यपालिका और विधायिका के अलग-अलग कार्य क्षेत्र, संविधान के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इन सब का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में लोक तंत्र की जड़ें मजबूत हों। लोकतंत्र में देश का असली मालिक आम नागरिक है । वास्तविकता में, अनेक बार स्थिति इसके विपरीत होती है एवं जिन संस्थाओं की उत्पत्ति ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, वही उन अधिकारों का हनन करने में लग जाती हैं।

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्यपालिका की बात करना तो आजकल लगभग बेमानी ही हो गया है। अपवादों को छोड़कर कार्यपालिका, केवल सत्ताधारी दल के इशारों पर काम करने वाली बन गई हैं। संवैधानिक संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग भी, दायित्व निभाने के बजाय, केवल सत्ता धारी दल की इच्छानुसार काम करने हेतु तत्पर रहती हैं। ऐसा करते समय वह यह भी भूल जाते हैं कि इन संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण इसलिए दिया गया था कि वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर देश के नागरिकों के हित में काम कर सकें।

गत कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों की तिलांजलि देकर, केवल बहुमत के आधार पर शोर गुल के बीच पारित कराए गए, कानून बनते हमने देखे हैं। इन्हें चुनौती देने के लिए न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है। कानून में कई प्रकार के ऐसे संशोधन किए गए हैं जिनसे नागरिक के अधिकारों पर आघात लगता है। उदाहरणार्थ, पी एम एल ए कानून के अंतर्गत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अब, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके, बिना जमानत के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हाल ही में देखने को मिले हैं जब ई डी, सीबीआई और आयकर जैसे विभागों का पूरा दुरुपयोग अपने राजनीतिक विपक्षियों एवं विरोधियों को कुचलने के लिए किया गया है । लोकतंत्र का मुख्य आधार ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आवश्यक आधार होता है। यदि किसी ने कभी ऐसी बात की, जो सत्ता में बैठे दलों जो पसंद नहीं आई हो तो फिर, विभिन्न संस्थाओं को ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने हेतु लगा दिया जाता है। इन संस्थानों में कार्यरत लोग, जिनका सेवा काल सुरक्षित होता है एवं इनमें से कई को तो संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है, सत्ताधारी दल की इच्छा पूर्ति हेतु तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे हैं जब किसी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, व्यंग्यकार, कॉमेडियन, वैज्ञानिक, कलाकार ने सरकार की नीतियों का विरोध किया तो उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया ।

इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में, जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सभी ओर से आक्रमण हो रहा हो, उच्चतम न्यायालय ने एक रक्षक की भूमिका निभाने का प्रयास किया है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी सदैव इस कसौटी पर खरा उतरा है, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में यदि कोई आशा की किरण दिखाई देती है, तो वह सुप्रीम कोर्ट ही है। यह निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा।

सरकार ने, राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी चंदा प्राप्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू की जिसके कारण चुनाव के लिए "लेवल प्लेयिंग फील्ड" होने की संभावना बहुत कम हो गई थी, क्योंकि किस ने, किस दल को कितना चंदा दिया है, इसकी जानकारी सत्ताधारी दल को तो अपनी अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से हो सकती थी किंतु अन्य दलों को यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी । इसे पूरी तरह अपारदर्शी रखा गया था। किसी को यह पता नहीं लग पाता था कि किसके द्वारा किसको कितना चंदा दिया गया है? न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर की गई तो याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने पूरा जोर लगाकर यह प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से यह जानकारी जनता को नहीं मिल पाए क्योंकि ताकि चंदा देने वालों और उनको लाभ पहुंचाने की जो कार्रवाई सरकारों द्वारा की गई थी, उसके बारे में जानकारी मिलने से सत्ताधारी दल आशंकित था। सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद और सरकार के घोर प्रतिरोध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने सरकार को बाध्य किया कि वह इलेक्टरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी सार्वजनिक करे। जब स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस प्रक्रिया में बहुत समय लगने का बहाना लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और स्पष्ट निर्देश दिए कि सारी जानकारी सार्वजनिक की जाय। इस निर्णय के कारण ही यह संभव हो पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित विस्तृत विवरण निर्वाचन आयोग के माध्यम से देश की नागरिकों को सुलभ हो सका। उसके बाद मीडिया ने सत्ताधारी दल और चंदा देने वाले कंपनियों के बीच साठ-गांठ की पोल खोल कर रख दी। ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से धन केवल केंद्र के सत्ताधारी दल को मिला, अपितु राज्य में जिस दल की सत्ता थी उसे भी इस माध्यम से अच्छा खासा चंदा मिला। भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहुंचाने की दृष्टि से लाई गई इस अपारदर्शी योजना का पूरा पर्दाफाश केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से ही संभव हो पाया।

मीडिया को कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सच के साथ खड़ा रहे, किन्तु ऐसा सामान्यतया हो नहीं रहा है । जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ दीमक की तरह लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं, और संवैधानिक संस्थाएं भी न केवल मूकदर्शक की तरह केवल देख रही हैं बल्कि इसमें भागीदार हो रही हैं, उच्चतम न्यायालय, लोकतंत्र के रक्षक की तरह अपनी भूमिका निभाते हुआ हमारे सामने आया है।

दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण तब सामने आया जब चंडीगढ़ में भाजपा द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में अपने स्तर पर बेईमानी करके एवं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले मतों को अवैध घोषित करके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मेयर पद पर निर्वाचित घोषित कर उसे शपथ भी दिला दी। जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से कोई राहत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची और वहां पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद, जिस प्रकार की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की वह अभूतपूर्व थी। उन्होंने न केवल प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण किया अपितु जो 36 मत चुनाव में डाले गए थे उनका पूरा विवरण एवं मतपत्र, सर्वोच्च न्यायालय में मंगवाकर उनकी गिनती स्वयं के स्तर पर की । मुख्य न्यायाधीश ने मतों की गिनती करवा कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया और भाजपा के निर्वाचित मेयर का चुनाव निरस्त कर दिया। इस प्रकार की घटना, न्यायिक इतिहास में संभवतया पहली थी।

हाल ही में, पीएमएलए में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला भी काफी रोचक है। प्रवचन निदेशालय ने लोकसभा चुनाव से एक महीने पहले तथाकथित शराब घोटाले में न केवल भारी बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया अपितु उन्हें येन केन प्रकारेण हिरासत में बनाए रखने का प्रयास किया। अधीनस्थ न्यायालय / दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया। अंततः जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां भी सरकार के वकील की ओर से पूरा जोर लगाकर यह प्रयास किया गया कि लोकसभा चुनाव पूरे होने तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकें। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार कार्रवाई चल रही थी एवं पहले जिस प्रकार का रुख न्यायाधीशों का दिखाई दे रहा था, उससे एक बार तो ऐसा लगा कि केजरीवाल के लिए चुनाव पूरे होने तक जेल से बाहर आना शायद संभव न हो। किसी एक व्यक्ति से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का इस प्रकार आशंकित होना विचित्र सी बात लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में अब तक हुए मतदान के रुझानों को देखते हुए सत्ताधारी दल इस बात से आशंकित था कि कहीं आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता के जेल से बाहर आने पर उनकी स्थिति और खराब न हो जाए। हमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने अंतिम जमानत की प्रार्थना नहीं होने के बावजूद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने का अवसर देते हुए उन्हें 10 मई, 2024 को अंतरिम जमानत दे दी। विधि विशेषज्ञों का यह मानना है कि अंतरिम जमानत का कोई प्रावधान कानून में नहीं था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार की सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए एक जून, 2024 तक चुनाव प्रचार करने हेतु जमानत देने का निर्णय किया। अब जबकि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी एवं इंडिया ब्लॉक के प्रचार को बड़ा बल मिला है।

बाबा रामदेव की पतंजलि के संबंध में भी हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित की रक्षा की है । यह उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र में जन हित ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए । अब तक अनेक भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा बाबा रामदेव कई प्रकार की ऐसी दवाइयों का खुलेआम प्रचार प्रसार करते रहे, जिनके द्वारा असाध्य रोगों, यहां तक कि कोरोना के इलाज का दावा किया जाता रहा। न केवल यह, इस प्रकार का विज्ञापन करते समय वे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की हंसी उड़ाने से भी बाज नहीं आए। इसके विरुद्ध आई एम ए ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने हेतु बाबा रामदेव को पाबंद किया। इसके बावजूद विज्ञापन जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करने पर बाबा रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ा। सरकार को भी मजबूर होकर पतंजलि की 14 दवाइयों की मान्यता समाप्त करनी पड़ी।

इस प्रकार के निर्णय तभी किया जा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निष्पक्ष हों एवं अपना कार्य निर्भय होकर करते हों। यह उल्लेखनीय है कि बाबा रामदेव के साम्राज्य का गत 10 सालों में तीव्र गति से विस्तार इसीलिए संभव हो पाया कि उसे सत्ताधारी दल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद, उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायपालिका के साहस और निष्पक्षता का ही परिचायक था।

मीडिया को कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सच के साथ खड़ा रहे, किन्तु ऐसा सामान्यतया हो नहीं रहा है । जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ दीमक की तरह लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं, और संवैधानिक संस्थाएं भी न केवल मूकदर्शक की तरह केवल देख रही हैं बल्कि इसमें भागीदार हो रही हैं, उच्चतम न्यायालय, लोकतंत्र के रक्षक की तरह अपनी भूमिका निभाते हुआ हमारे सामने आया है।

उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से लंबित धारा 370, अयोध्या, ई वी एम आदि से संबंधित विवादों का भी अंतिम रूप से निस्तारण किया है।

जब कभी सर्वोच्च न्यायालय पर कमजोर होने की शंका होने लगी, तभी ऐसा निर्णय सामने आ जाता है जिससे हमें सर्वोच्च न्यायालय पर गर्व होने लगता है।

यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि जब तक उच्चतम न्यायालय में स्वतंत्र, निर्भीक और साहसी न्यायाधीश रहेंगे, देश में लोकतंत्र सुरक्षित है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कौन बचाए कदम्ब की डारि : सुनो गिरधारी

राजेन्द्र जोशी

कदम्ब का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कानों में सुनाई देने लगती है। देव वृक्ष कदम्ब अधिकांश ब्रज क्षेत्र में पाया जाता है। इस वृक्ष की उम्र भगवान श्रीकृष्ण से भी अधिक है । कदम्ब का वृक्ष व्यक्तियों के साथ-साथ देवताओं को भी सुख देने वाला माना गया है। चंदन जैसी महक और श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली कदम्ब, कृष्ण की लीलाएं और कदम्ब की डारी पर बैठकर बांसुरी बजाते, रासलीला करते सदियों से आज तक कदम्ब का पेड़ उन लीलाओं की गाथा सुनाता है।

बृज क्षेत्र में कदंब की डालियों में बाँसुरी की धुन आज भी सुनाई देती है।

देश-प्रदेश में राम मय वातावरण में भगवान कृष्ण के प्रिय देव वृक्ष कदम्ब की सुध लेने की जरूरत है। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में खासकर भरतपुर, डीग और कामा का क्षेत्र आता है । पूछरी का लोटा के समीप श्याम ढाक एक खास जगह है जो बरौली चौक ग्राम पंचायत, जिला डीग क्षेत्र में आती है, एक समय वहां 500 से अधिक कदम्ब के पेड़ लगे हुए थे। वही आज पांच कदम्ब भी मुश्किल से गिने जाते हैं। कुछ कदम्ब के वृक्ष बीकानेर के ब्रह्म बगीचे में भी लगे हुए है।

लगभग दस वर्ष पूर्व राजस्थान के ब्रज में कदम्ब को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष योजनाबद्ध काम करने की योजना बनाई थी। जो कागजो में सिमटकर रह गई। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में कदम्ब का ना होना चिन्ताजनक है। लगता है इस पर वन विभाग ने ध्यान देना बंद कर दिया। कदम्ब को चंदन का विकल्प भी माना जाता है। कदम्ब को बचाने के लिए बरौली चौथ निवासी शिक्षाविद-पर्यावरण कार्यकर्ता निरंजन सिंह निराश होकर कहते है लगता है राम के पुजारी कृष्ण की तरफ भी ध्यान केंद्रित करेंगे। कदम्ब की उम्र वैसे तो 500-600 वर्षों तक मानी गई है, इसकी वृद्धि सौ बरस वर्ष तक होती है। दस-बारह बरस में तो कदम्ब एक छोटे से वृक्ष का रूप धारण करता है। मनमोहक सा लगने वाला कदम्ब मूलतः शांत स्थान पर प्राकृतिक रूप से फलता-फूलता है। कदम्ब के मुख्य तने का व्यास एक से तीन मीटर तक होता है। उनकी शाखाएं भी विशाल एवं आच्छादित होती है। कदम्ब की छाया में एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है जो कि सीधे प्रकृति से मेल करवाता है। कदम्ब के पत्ते का आकार पीपल के पत्ते के बराबर होता है, लेकिन अपेक्षाकृत कोमल और शांत कदम्ब के पते आवाज नहीं करते।

अधिकतर पत्तो का आकार धीरे-धीरे दोने का आकार लेने लगते है, बताया जाता है कि श्रीकृष्ण दही-माखन इन्हीं दोनो में खाया करते थे। कदम्ब के पेड़ पर जून माह से पीले रंग के फूल आने लगते हैं। अन्य फूलों से भिन्न गोलाकार मनमोहक एवं आकर्षित लगने वाले फूलों की महक वृक्ष से लगभग बीस मीटर तक आती है । फूलों की खिलावट एक माह तक रहती है।

कदम्ब का सम्बंध ब्रजराज श्रीकृष्ण की बाल्य क्रीडाओं से जुड़ा हुआ है। ब्रज क्षेत्र के जिस किसी कदम्ब की डाली पर श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते जिसकी मधुर धुन जहां तक सुनाई देती है वहां के ग्वाले एवं गोपिकायें उस कदम्ब की छांव में तुरंत एकत्रित हो जाया करते थे।

जैसे-जैसे कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ एकत्रित होकर नृत्य करने लगते धीरे-धीरे यह नृत्य रास का रूप लेने लगता और वर्तमान की रासलीला बन गई ।किसी समय कल कल करती यमुना नदी उसका स्वच्छ व सुंदर नीर किनारे पर कदम्बों के कुंज, गोपियों का पानी भरने आना और यमुना में नहाना, गायों को रंभाना भौरो का गुंजन व कन्हैया जी की बांसुरी का उस कदम्ब कुंज से मधुर ध्वनि का निकलना यह बृजराज श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का प्राकृतिक दृश्य होता है।

ऐसे श्रीकृष्ण प्रिय कदम्ब को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। वन विभाग ने इस सुंदर वृक्ष को समय रहते नहीं बचाया तो ब्रज क्षेत्र में कदम्ब समाप्त होने के कगार पर होगा। राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र गोकुल, मथुरा, जतीपुरा और गोवर्धन जो की परिक्रमा मार्ग भी है वहां कदम्ब को बचाए रखने की कवायद बराबर की जाती है। जबकी श्याम ढाक की दूरी बहुत अधिक नहीं है। भरतपुर, डीग और कामा की दूरी भी अधिक नहीं है। बल्कि वहां का कदम्ब आज भी अपनी जीवन की अन्तिम सांसें गिन रहा है। इसकी मुख्य वजह वन विभाग की उदासीनता और क्षेत्र में अतिक्रमण के साथ-साथ यमुना का गंदा पानी कदम्ब को खराब करने में प्रमुख रूप से माना जाता है। इस दुर्लभ वृक्ष को जिसका औषधीय गुण और पवित्र माना जाता है, यह प्रजाति कहीं नष्ट ना हो जाए इसके लिए परिवार, समाज, संस्थाओं को तो सजग होना ही होगा खास तौर पर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के पर्यावरण विभाग को सामूहिक रूप से मुहिम चला कर इसके विकास और संवर्धन के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। उद्धव से सूरदास ने अपने पद में भी लिखा हैं ''**ऊधो मोहि ब्रज विरसत नाहीं । हंससुता की ये सुंदर कगरी उर में कुंजन की छांही।**''

कवि रसखान ने भी अपने सवैये में लिखा है :-

मानुस हो तो वही दसखानि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन
जो पसु है तो कहा बस मेरो चरौं नित नंद की धेनु मंगलान।
पाहन हो तो बसेरो करौं मिली कालिदी फूल कदम्ब की डारन।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद्-साहित्यकार

बूढ़ा पुष्कर में पैंथर की दस्तक, गाय के बछड़े को शिकार बनाया

पैंथर से ग्रामीणों में भय का माहौल, तीन माह में पंद्रह मवेशियों को शिकार बनाया

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के बूढ़ा पुष्कर में इन दिनों पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वही स्थानीय लोगों के मुताबिक पैंथर ने अब तक करीब 15 से 20 जानवरों को अपना शिकार बनाया है। बीती रात बूढ़ा पुष्कर के माधोपुरा गांव में स्थित एक फार्म हाउस में पैंथर ने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। बछड़े की आवाज व कुतों के भौंकने की आवाजें सुनकर राजेन्द्र सिंह आया तो पैंथर बछड़े गला पकड़ कर बैठा था। आवाजें सुनकर पैंथर फार्म हाउस की दीवार फांद कर भाग छूटा।

पुष्कर के निकटवर्ती गांव माधोपुरा के ग्रामीण राजेंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि विगत तीन माह से क्षेत्र में पैंथर का लगातार आना-जाना जारी है। अभी करीब पंद्रह से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। अपने मवेशियों की रक्षा के लिए

माधोपुरा ढाणी में पैंथर दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों को रात भर जागना पड़ता है।

ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है। उन्होंने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया था, लेकिन पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हुआ।

अभी तक पैंथर के आतंक से राहत नहीं मिली है। पैंथर के मूमवेंट से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। दिन भर गांव में पैंथर की चर्चाओं का माहौल गर्म रहता है, वहीं शाम होते भय के माहौल में तब्दील हो जाती है। जानकारी के अनुसार अजमेर जिले के कई रिहायशी इलाकों में पैंथर की दिखाई देने की खबरें सामने आई थी। विगत दिनों ही फॉयसागर रोड चामुंडा माता मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर पैंथर ने बछड़े को अपना शिकार बनाया था। नगर निगम के एक कर्मचारी ने पैंथर को पत्थर मार कर भगाया था। लगातार घट रहे जंगलों और भोजन की कमी के चलते वन्य जीव आबादी की और रुख करने लगे।

■ **पैंथर को पकड़ने के लिये वन विभाग का लगाया पिंजरा भी नाकाम हुआ**

ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक पालतू मवेशियों को ही शिकार बनाया गया है। ऐसे में पैंथर आम लोगों को भी निशाना बना ले इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

वन रेंज छत्तरगढ़ की 1200 बीघा वन भूमि का फर्जी आवंटन का आरोप

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले सितंबर व अक्टूबर 2023 में गैर कानूनी तरीके से इसे अंजाम दिया गया

बीकानेर, (निसं)। छत्तरगढ़ तहसील में 6125 बीघा सरकारी भूमि के फर्जी आवंटन का मामला खुलने के बाद अब वन भूमि को गैर कानूनी तरीके से फर्जी आवंटन कराने का बड़ा घोटाला पकड़ में आया है। इसमें भू-माफियाओं ने वनभूमि को भी नहीं बक्शा है। वन रेंज छत्तरगढ़ की 1200 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण बदलकर अन्य के नाम कर दी गई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले सितंबर व अक्टूबर 2023 में गैर कानूनी तरीके से इसे अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में उपखण्ड से लेकर तहसील स्तर तक सारी

■ **हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में उपखण्ड से लेकर तहसील स्तर तक सारी प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई।**

प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई।

राजस्व विभाग छत्तरगढ़ ने वन विभाग की जमीनों को अन्य लोगों के नाम इंतकाल भी चढ़ा दिए। वन विभाग के डीएफओ ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर अवगत कराया कि वनभूमि का गैर कानूनी तरीके से राजस्व तहसील छत्तरगढ़ की ओर से नामांतरण किया गया है। इस पत्र के साथ वनभूमि जिन लोगों के नाम चढ़ाई गई उनकी जानकारी दी है। साथ ही जिला कलेक्टर से इस भूमि को वापस वन विभाग के नाम इंद्राज करवाने के लिए कहा है।

उपनिवेशन बीकानेर ने वर्ष 1977 में चक 2 डीएलएम में कुल 1100 बीघा तथा चक 1 आरएसएम में कुल 1600 बीघा भूमि वन विभाग को आवंटित की। जिला कलेक्टर बीकानेर ने चक 2 डीएलएम में वर्ष 1984 में 100 बीघा और भूमि वन विभाग को आवंटित कर दी। ग्राम चक 1 आरएसएम पटवार मंडल लाखनसर भू. अ. नि. वृत्त खारबारा तहसील छत्तरगढ़ में वन विभाग के खाता संख्या 65 में से 90 बीघा वन भूमि को सीधे ही पांच खातेदारों को आवंटित कर उनके नाम इंतकाल दर्ज कर दिए गए। इसमें एसडीएम छत्तरगढ़ के 16 अक्टूबर 2023 के आदेश का हवाला दिया गया है। पांचों लाभार्थी लूणकरनसर तहसील के ढाणी पांडूसर के निवासी हैं।

ग्राम चक 2 डीएलएम पटवार मंडल रामनगर भू. अ. नि. वृत्त राणेर तहसील छतरगढ़ में वन विभाग की 270 बीघा वन भूमि को एसडीएम न्यायालय के 22 सितबर 2023 तथा 27 सितबर 2023 के आदेश का हवाला देकर राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग से हटाकर अराजीराज दर्ज कर दी। रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि चक 2 डीएलएम में वन विभाग की करीब 1082 बीघा वनभूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज कर दिया गया है। भू-माफिया इन जमीनों को फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वाने की फिराक में थे। इसी बीच छत्तरगढ़ का फर्जी भूमि आवंटन पत्र घोटाला खुल गया। ऐसे में यह जमीन अराजीराज ही बच गई। इस प्रकार कुल करीब 1200 बीघा वन भूमि को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया गया। जिसकी वन विभाग को भनक तक नहीं लगने दी गई। रातों-रात नामांतरकरण बदल दिए गए हैं।

राशिफल मंगलवार 14 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, पुष्य नक्षत्र दिन 1:05 तक, गंड योग प्रातः 7:25 तक, गर करण दिन 3:35 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरू-वृष, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से दिन 1:05 तक है। रवियोग दिन 1:05 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 1:05 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 4:20 से आरम्भ होगी। आज ज्येष्ठ संक्रांति सूर्य वृष में प्रवेश सांय 5:53 पर होगा। पुण्यकाल दिन 11:29 से आरम्भ होगा। आज गंगा सप्तमी और पूजन गंगोत्पत्ति दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:03 से 10:43 तक, लाभ-अमृत 10:43 से 2:03 तक, शुभ 3:43 से 5:23 तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:02

मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मकर

परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मीन

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।